विरोध प्रदर्शन आज

जयपुर। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने संघ के सक्रिय पदाधिकारियों की आपात बैठक में लिया विरोध प्रदर्शन का निर्णय।राज्य सरकार बार-बार बजट में मंत्रालयिक कर्मचारी के हितों के लिए घोषणाएँ करके उन्हें लागू नहीं कर रही है। कर्मचारी संघ द्वारा समय-समय पर इस हेतु सरकार को अवगत कराया है, महासंघ एकीकृत भी सरकार से कई बार वार्ता कर मंत्रालयिक कर्मचारियों की वाजिब मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया है।

एफ.आई.आर. पर एफ.आर. एफ.आर. फिर एफ.आर., आखिर माजरा क्या है ?

निति अनुसार एक अपराधिक मामले की जांच के लिए तीन बार जांच अधिकारी बदला जा सकता है। परन्तु, नवीन चौधरी की एफ.आई.आर की जांच में आखिर कब तक जांच अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सीकर रोड, गिरधर कॉलोनी के निवासी, नवीन चौधरी, द्वारा एक जमीन के विवाद पर 13 जुलाई 2023 को मुरलीपुरा थाना, जयपुर, में कराई गई एफ.आई.आर. का मामला, किसी भी अन्य जमीनी विवाद में संबंधित एफ.आई.आर. से ज्यादा रोचक साबित हो रहा है। नवीन चौधरी की एफ.आई.आर. संख्या 365 पब्लिक 2023 का मामला रोचक इसलिए है कि इस मामले में पिछले ढाई वर्ष से तीन जांच अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश करी है, जिसमें से पहले जांच अधिकारी का रिपोर्ट में स्पष्ट कहना था, कि दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में मामले को केवल सिविल स्वरूप का बताया गया और मामले पर एफ.आर. लगा दी गई। इसके बाद एक अन्य जांच अधिकारी ने इस मामले में आपराधिक मामला होने व उसकी जांच होने की पुष्टि करें, परंतु जांच अधिकारी का तबादला हुआ और मामले की जांच पर एफ.आर. लगा दी गई। तत्पश्चात एक तीसरी जांच अधिकारी ने इस मामले की जांच करी और इसे सिविल स्वरूप का बताया और किसी आपराधिक तत्व नहीं पाए जाने के कारण मामलें में पुनह एफ.आर. लगाई।

गौर फरमाने योग्य है कि इस मामलें में तीन बार एफ.आर. लगने के बाद शिकायतकर्ता नवीन चौधरी ने पुलिस प्रशासन की दया दृष्टि पाते हुए इस एफ.आई.आर. की जांच के लिए चौथी बार एक जांच अधिकारी की नियुक्ति कराए जाने और एफ.आर. हटाने में सफलता प्राप्त की।

- **नवीन चौधरी की एफ.आई आर सीकर रोड़ पर बनी गिरधर कॉलोनी के प्लॉट नम्बर विवाद से सम्बन्धीत है।**
- **हैरानी की बात है कि जेडीए के आदेश अनुसार स्वयं नवीन चौधर ही उक्त जमीन के कब्जा धारी है और रिहायशी जमीन पर अवैध तरीके से शादी का हॉल और भोजनालय चला रहे है।**

परंतु सवाल यह है कि एक मामले की जांच कितने जांच अधिकारी कर सकते हैं और क्या तीन बार एफ.आर. लगने के बाद भी पुलिस प्रशासन मामले को पुन खोलने और जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं । इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के गृह विभाग में 1 जनवरी 2019 को एक नीति जारी करी थी, इस नीति में स्पष्ट लिखा है, कि "एक प्रकरण में किसी भी परिस्थिति में समस्त अधिकारियों द्वारा अनुसंधान अधिकारी का परिवर्तन कुल मिलाकर तीन बार से अधिक नहीं किया जा सकेगा।" इस नीति में आगे लिखा है कि "उक्त तीन अनुसंधान अधिकारियों की गणना में प्रथम अनुसंधान अधिकारी की भी गणना की जाएगी।"

राज्य सरकार द्वारा इस नीति का गठन किया जाना तर्कसंगत और लाज़मी इसलिए भी लगता है कि एक एफ.आई.आर. की जांच अनंत समय और अनगिनत जांच अधिकारियों द्वारा नहीं की जा सकती है, परंतु नवीन चौधरी की एफ.आई.आर. के मामले में इस स्पष्ट नीति का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है । क्या शिकायतकर्ता की मनमर्जी की रिपोर्ट ही इस फिर की जांच को पूर्ण कर सकती है? क्योंकि तीन बार इस मामले में जांच के बाद फर लग चुकी है और एफ.आर. में दर्ज आरोप सिद्ध करने के लिए तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इस मामले का सबसे रोचक तथ्य यह है, कि जिस जमीन पर चल रहे विवाद को लेकर यह एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है । वह जमीन सीकर रोड, पर गिरधर कॉलोनी का प्लॉट नंबर चार है और इस रिहाई सी प्लॉट पर स्वयं जेडीए ने जांच कर पाया है, कि नवीन चौधरी ही बिना अनुमति एवं स्वीकृति के करीब 2300 वर्ग गज में एक चार बाग के नाम से रेस्टोरेंट में बैंक्वेट हॉल का अवैध निर्माण कर व्यावसायिक संचालन कर रहे हैं। जीडीए ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि, यह निर्माण बिल्डिंग बाय लॉज का उल्लंघन होने के अलावा अवैध में अनाधिकृत है और इस प्लॉट पर स्वयं नवीन चौधरी का ही कब्जा हैं।

दरअसल इस जमीन को नवीन चौधरी ने श्रीनाथ कृपा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर रिहायशी कॉम्पलेक्स बनाने का अनुबंध किया था, इस अनुबंध के अनुसार डेवलपर द्वारा रिहायशी कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु रकम मुहैया कराई जा रही थी और जमीन देने के आवाज में नवीन चौधरी को रिहायशी परिसर में फ्लैट मिल रहे थे। दोनों डेवलपर और नवीन चौधरी ने मिलकर एक कंपनी का भी गठन किया था, जो निर्माण कार्य को पूर्ण करती।

परंतु नवीन चौधरी द्वारा ही जमीन का कब्जा नहीं कंपनी को नहीं दिया गया और पुलिस प्रशासन की मदद से इस मामले में वर्ष 2023 में एफ.आई.आर. दर्ज कराई। जिसमें तीन बार एफ.आर. लगने के बाद भी पुन जांच अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है।

हैरानी की बात यह है कि उक्त जमीन का कब्जा न देने और डेवलपर के साथ बनाई गई निर्माण कंपनी हेतु बनाई गई कंपनी के पैसे को लेकर चल रहे विवाद में माननीय आर्बीट्रेटर न्यायमूर्ति विनीत कोठारी ने कमिश्नर नियुक्त कर जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति की जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट लंबित है। पर इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि यह मामला सिविल स्वरूप का है और सिविल अदालत में ही इसका निस्तारण किया जा सकता है। फिर बार-बार पुलिस प्रशासन इस मामले की आपराधिक जांच क्यों करवा रहे हैं? अब इसी सम्मान अब इसी संदर्भ में श्रीनाथ कृपा डेवलप पर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थानीय एसीपी को चिट्ठी भी लिखी गई है।

छात्रों से मारपीट करने वाले छह जने गिरफ्तार

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैगोर कॉलेज के छात्रों से मारपीट करने वाले हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं एक नाबालिग को बाल सुधार को निरूद्ध कर गृह भेजा गया है। बदमाशों ने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसके बाद पांचों युवकों की इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल नंबर ट्रेस कर पहचान के बाद पकड़ा।

शिप्रापथ थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि शिप्रापथ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैगोर कॉलेज के छात्रों से मारपीट करने वाले हेमंत मीणा निवासी अलवर,सुमित शर्मा निवासी अलवर मनीष कुमार मीणा निवासी अलवर,सौरभ मीणा उर्फ गोलू मीणा निवासी दौसा और जयशिव सैनी निवासी दौसा को गिरफ्तार किया गया है और एक एक बाल अपचारी निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं पांचों जयपुर में पीजी में कमरा लेकर रहते।

मारपीट की घटना 20 सितंबर की थी। टैगोर कॉलेज में पढ़ने वाले भावेंद्र कुमार (22) निवासी बाड़मेर ने मामला दर्ज करवाया था कि वह अपने दोस्त विनोद के साथ बाइक पर अपने कमरे से जा रहा था। टैगोर स्कूल के सामने 4-5 लोगों ने बाइक रुकवाकर अचानक से लाठी और सरिया से मारपीट करना शुरू कर दिया।

आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी के सामने पति की चाकू से गोद कर हत्या करने वाले एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि करधनी थाना इलाके में सरना डूंगर रीको एरिया (मेटल फैक्ट्री) में काम करने वाले रवि कुमार की बीस सितंबर को दो मजदुरो ने चाकू घोंपकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुसि ने हरिशंकर कुशवाह(20) निवासी कुलपाडा जिला महुबा (यूपी) हाल करधनी को गिरफ्तार किया गया हैं और वहीं एक अन्य आरोपित आशीष निवासी कुलपाडा जिला महुबा (यूपी) की तलाश की जा रही है इस मामले रवि कुमार की पत्नी निर्मला ने पति की हत्या का मामला दर्ज करवाया था कि वह रवि निवासी गांव कानसिंहपुरा जिला झुंझुनूं के साथ छह साल से लिव इन में रह रही हैं। तीन साल से रवि मेटल कंपनी में काम कर रहे था। 20 सितंबर को रात आरोपित आशीष और हरिशंकर ने उसके पति रवि को चाकू घोंपकर जान से मार दिया।

फूड सेफ्टी टीम ने किया 884 लीटर नकली घी सीज

जयपुर । आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को सीएमएचओ जयपुर प्रथम की फूड सेफ्टी टीम ने चांदपोल बाज़ार स्थित अग्रवाल रोड लाइंस पर कार्यवाही कर 884 लीटर नकली घी सरस, कृष्णा, लोटस, गोरस ब्रांड सीज किया । सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि इस फर्म का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि पैकिंग पर संदेह होने पर समस्त स्टॉक चेक करने पर सरस, लोटस,कृष्णा,गोरस के प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाया गया।

स्वास्थ्य शिविरों में 37 लाख से अधिक लोगों को मिला लाभ

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देशभर में चलाए जा रहे स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान से लाखों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में 'स्वस्थ नारी- सशक्त परिवार' अभियान प्रतिबद्धता के साथ संचालित कर आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से प्रदेश में अब तक 37 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित किया जा चुका है।

- **चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आमजन को नजदीकी स्थान पर सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने व परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अभियान का आयोजन किया है**

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि आमजन को अपने नजदीकी स्थान पर सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने एवं विभिन्न रोगों की स्क्रीनिंग कर उपचार एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान का आयोजन किया गया है। इसके तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है, ताकि हमारी माताएं-बहनें स्वस्थ रहें और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। राजस्थान इस अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासनर सचिव राठौड़ ने बताया कि अभियान के तहत राजस्थान बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में 17 सितम्बर से 22 सितम्बर तक 1 लाख 8 हजार 534 स्क्रीनिंग और विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 6 हजार 952 विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं वाले स्वास्थ्य शिविर भी शामिल हैं।

स्क्रीनिंग एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरों में कुल 37 लाख 54 हजार 295 महिला व पुरुषों ने विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य एवं परामर्श सेवाओं का लाभ लिया है। इनमें 19 लाख 80 हजार 156 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक आयोजित किए गए कुल 618 रक्तदान शिविरों में 38 हजार 901 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जा चुका है।

राठौड़ ने बताया कि 17 सितम्बर से 22 सितम्बर तक 2 लाख 36 हजार 461 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही 13 लाख 80 हजार 939 महिला व पुरूषों की एनीमिया की स्क्रीनिंग की गयी है। इसी प्रकार 4 लाख 33 हजार 780 आवश्यक टीकों की निर्धारित डोज बच्चों को लगाई गई हैं। शिविरों में 7 लाख 92 हजार 955 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गयी है। साथ ही 56 हजार 590 निक्षय मित्र भी पंजीकृत किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि गैर संचारी रोगों में उच्च रक्तचाप हेतु 8 लाख 15 हजार 217 महिलाओं, 7 लाख 37 हजार 849 पुरूषों की स्क्रीनिंग की गयी है। साथ ही 7 लाख 51 हजार 889 महिलाओं एवं 6 लाख 76 हजार 58 पुरुषों की मधुमेह (डायबिटिज) बीमारी की स्क्रीनिंग की गयी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने बताया कि शिविरों में 43 हजार 538 लोगों की सिकल सेल बीमारी की स्क्रीनिंग की गयी है। इनमें 20 हजार 264 लोगों को सिकल सेल कार्ड वितरित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि 16 लाख 10 हजार 972 लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ के बार में आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं वय वंदन योजना के पात्र कुल 31 हजार 823 लाभार्थियों को कार्ड बनाकर प्रदान किए गए हैं। केन्द्रीय राजकीय संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं निजी संस्थानों के द्वारा भी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

डॉ. यादव ने बताया कि 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इन शिविरों में महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

महिलाओं के लिए उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर (ओरल, ब्रेस्ट एवं सर्विकल) की जांच, एनीमिया जांच और परामर्श, टीबी की जांच, आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल जांच और परामर्श एवं सिकल सेल डिजीज (एससीडी) कार्ड वितरण किया जा रहा है।

नाम परिवर्तन

मैं मेरा नाम साक्षी मोदी से बदलकर साक्षी पुत्री श्री सुशील कुमार मोदी निवासी बी-244, हरी मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर (राज) रख रही हूँ भविष्य में मुझे मेरे उक्त नये नाम से ही जाना पहचाना जावे।

मै आर्मी न. 15181197A हवलदार (गनर) आदिवेप्पा शेटेननवार 199 मध्ययम रेजीमेंट है। मेरे सैन्य दस्तावेजों मे मेरे पिताजी का नाम रामअन्ना (RAMANNA) है जो की गलत है। मेरे पिताजी का सही नाम रामप्पा शेटेननवार (RAMAPPA SHETTENNAVAR) है।

मै आर्मी न. 15181197A हवलदार (गनर) आदिवेप्पा शेटेननवार यूनिट 199 मध्ययम रेजीमेंट है। मेरे सैन्य दस्तावेजों मे मेरी माताजी का नाम अक्काव्वा (AKKAVVA) है जो की गलत है। मेरी माताजी का सही नाम अक्काव्वा आर शेटेननवार (AKKAVVA R SHETTENNAVAR) है।

मै आर्मी न. 15181197A हवलदार (गनर) आदिवेप्पा शेटेननवार यूनिट 199 मध्ययम रेजीमेंट है। मेरे सैन्य दस्तावेजों मे मेरी पत्नी का नाम दीपा (DEEPA) है जो की गलत है। मेरी पत्नी का सही नाम दीपा शेटेननवार (DEEPA SHETTENNAVAR) है।

मै आर्मी न. 21000565W नायक (ओपीआर) बुदु शनमुख यूनिट 199 मध्ययम रेजीमेंट है। मेरे सैन्य दस्तावेजों मे मेरे पिताजी का नाम बी अप्पाराव (B APPARAO) है जो की गलत है। मेरे पिताजी का सही नाम बुदुअप्पाराव (BOODU APPARAO) है।

मै आर्मी न. 21000565W नायक (ओपीआर) बुदु शनमुख यूनिट 199 मध्ययम रेजीमेंट है। मेरे सैन्य दस्तावेजों मे मेरी माताजी का नाम बी लक्ष्मी (B LAXMI) है जो की गलत है। मेरी माताजी का सही नाम बुदु लक्ष्मी (BOODU LAKSHMI) है।

मैने अपना नाम अर्चना अग्रवाल पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश कुमार निवासी 12/474 मालवीय नगर जयपुर से बदलकर अर्चना देवी रख लिया है भविष्य में मुझे अर्चना देवी के नाम से जाना जावे उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के ही है।

I have changed my name Vikrant Shekhawat to Vikrant Singh Shekhawat for all legal and future purpose. Address: 112/48, Agrawal Farm, Mansarovar, Jaipur- 302020

It is for general information that I, GURJAR UDAL BANESINGH, S/O BANESINGH, R/O Village Karanpur, Post Patoli, Tehsil Mahwa, DIST: Dausa, Rajasthan- 321608, declare that of mine and my father has been wrongly written as SHIVHAREE GURJAR and KARANSINGH GURJAR in my PAN Card No. DVIPG6986H. The actual name of mine and my father are GURJAR UDAL BANESINGH and BANESINGH, which may be amended accordingly.

I, Sumer Singh Meena, resident of Flat No. L-2135A, Block No. 34, Rangoli Gardens, Maharana Pratap Marg, Panchayawala, Jaipur, have changed my son's name from Sarthak Singh to Sarthak Suyash. He will be known as Sarthak Suyash in the future.

I have changed my name from Deepansu Agarwal to Deepanshu Agarwal son of Deep Mohan Agarwal. From now on I will be known as DEEPANSHU Agarwal. Address: 95 Subhash Colony, Shastri Nagar, Jaipur.

I Vinod Kumar S/O Naramdeswar Mishra R/o Flat No. 159, Vila No. 3-B, Patrkar colony, Mansarovar, Distt. Jaipur, Rajasthan-302020, have changed the name of my minor son SHOURYA MISHRA aged 12 years and he shall hereafter be known as RACHIT MISHRA.

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल अकरम खान पुत्र श्री अब्दुल्ला खान, निवासी-मकान नम्बर 3669, बाबू का टीबा, रामगंज बाजार, जयपुर के द्वारा रजनीश कुमार दीवान पुत्र स्व. श्री बंशीधर जी दीवान, निवासी मकान नम्बर 283, रामगंज अनाज मण्डी, चौकडी घाटगेट, जयपुर के मालिकाना स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 283, रामगंज अनाज मण्डी, चौकडी घाटगेट, जयपुर को क्रय कर रहा है। यदि किसी भी खास व आम को उक्त सम्पत्ति की खरीद से आपत्ति हो तो आगामी 3 दिन के अंदर हमसे सम्पर्क कर लें बाद गुजरने मियाद किसी का कोई उज्र, आपत्ति मान्य नही होगी। सूचित रहे।

जुबैर इरशाद एडवोकेट, मो. 9828549967

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर
हेमराज वगै० बनाम शान्ति देवी वगै०
वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या 105/2025

1. शान्ति देवी धर्मपत्नि राधेश्याम जाति पारीक ब्राह्मण निवासी चौरू तहसील फागी जिला जयपुर हॉल निवासी मकान नं0 2808 पुरोहित जी चौक टिक्कीवालों का रास्ता चौकडी तोपखाना जयपुर। उक्त पत्रावली में आपको इस न्यायालय में दिनांक 25.09.2025 को प्रातः 10:00 बजे दावें का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके।आपकों यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रति रक्षा का लिखित कथन दाखिल करे और उस दिन सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे में या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावें या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।आपको सूचित किया जाता है कि उपर बताई गई तारीख पर/ प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 19 माह 09 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।.

मोहर — सहायक कलक्टर, फागी जिला जयपुर

विवाधको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के लिए नियम 1 और 5)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम) जयपुर महानगर-।।
विजेता कंवर विरूद्ध मुख्य रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार व अन्य
वाद बाबत उद्घोषणात्मक
वाद सं. 96/2025 सन्

बनाम मनीषा कंवर राठौड पुत्र... जाति... स्थान निवासिनी-प्लॉट नं. 34-35, के.जी.एन.बाग, बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर
... ने आपके विरूद्ध उदघोषणा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 10 माह 11 सन् 2025 को दिन में.... बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों को उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे मे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूचि में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता. 20 माह 9 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत — रीडर-सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय

विवाधको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के लिए नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर) राज.
मुकदमा नं. 109/2023
कल्याणसिंह आदि बनाम खैमचन्द आदि
दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई
दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

1- खैमचन्द, 2- खुशहालचन्द, 3 घनश्यामदास, 4 चिम्मनलाल, 5- जेठानन्द, 6- प्यारेलाल पुत्रान साधूराम, 7- राधाकिशन पुत्र टालाराम, 8- जसवन्तराम पुत्र सिद्धूराम जाति खत्री निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0
चूँकि वादीगण कल्याणसिंह आदि ने आपके विरूद्ध दावा संस्थपित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 26.9.25 को 10 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश किए गए हों, और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके ऐसा कोई व्यक्ति हो सवका उत्तर दे सके। आपको निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन आपकी प्रतिरक्षा लिखित कथन दाखिल करें, और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति मे है, पेश करें, और जिन पर आपकी प्रतिरक्षा मुजराई दावा या प्रतिरक्षा आधारित है, और या आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे व आपके कब्जे या शक्ति मे हो या अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है, तो आप ऐसे दस्तावेजो की लिखित कथन के साथ उपबद्ध किए जाने वाली सूची प्रविष्ट करे।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होगे, तो वाद की सुनवाई और निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जावेगा।
यह आज दिनांक 20/08/25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया है।

मोहर अदालत — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज.

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/632 चूंकि प्रार्थी श्री KAMAL CHAND CHHABRA, M-16, 6-D, ENGINEERS COLONY, MANYAWAS, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर मान्यावास ट्रस्ट, M-70, 6-D, MAND N BLOCK, ENGINEERS COLONY, MANYAWAS, MANSAROVAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28/11/2025

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/621 चूंकि प्रार्थी श्री मोहम्मद इसामुल हक, मकान नम्बर 58, डायमण्ड कॉलोनी बी, आगरा रोड, लालवास, जयपुर, राजस्थान 302027 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास जामिया शमसिया दारूल उलूम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, प्लॉट नम्बर 101, 105 अशरफ कॉलोनी, लालवास, जयपुर, राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28/11/2025

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय नगर परिषद् शाहपुरा, जयपुर (राज0)
(पीपली तिराहे के पास, शाहपुरा,जयपुर)
Email:- shahpura.jaipur@gmail.com
क्रमांकः-न.प.शा./भूमि/2025-26/197 दिनांक- 19.09.2025
आपत्ति आमन्त्रण सूचना
सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदको द्वारा नगर परिषद शाहपुरा, जयपुर में कृषि भूमि नियमन/69 ए पट्टा/उपविभाजन/पुर्नगठन/भवन निर्माण हेतु आवेदन किया गया है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पिता /पति का नाम	स्थित भवन/भूमि का मौहल्ला रास्ता , खसरा नं. व दिशा	कुल क्षेत्रफल (वर्ग गज)	विशेष विवरण
1	श्री महावीर प्रसाद लाभी केदार खण्डेलवाल पुत्र श्री चौथमल लाभी, ललिता देवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद	मुख्य बाजार, शाहपुरा, जयपुर खसरा नं. 3456, पूर्व- सामलाती दुकानें, पश्चिम- बजरंग लाल, महावीर प्रसाद के मकान से भेडा, उत्तर- आम रास्ता, दक्षिण - सीताराम का मकान	125	69 ए पट्टे हेतु
2	श्री सुरेश कुमार वर्मा, श्री देशराज वर्मा पुत्र श्री सूरज मल वर्मा	शाहपुरा स्मार्ट सिटी, एमडीआर रोड, शाहपुरा, जयपुर, खसरा नं. 4963/1, 4962 पूर्व-पार्क, पश्चिम- 30 फीट आम रास्ता, उत्तर-प्लॉट नं. 193, दक्षिण- प्लॉट नं. 195	111.11	आवासीय पट्टे हेतु
3	श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा	वृन्दावन विहार कॉलोनी, शाहपुरा, जयपुर खसरा नं. 3805, पूर्व- आम रास्ता - पश्चिम-जगदीश जाट की खाली जमीन उत